संख्या–3227/60–1–2016

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

विषयः– केस वर्कर/प्रभारी जिला परिवीक्षा अधिकारियों को आहरण–वितरण अधिकारी का कार्यभार दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ज़िला परिवीक्षा अधिकारियों की कमी के दृष्टिगत कतिपय जनपदों में केस वर्कर्रों को विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु प्रभारी जिला परिवीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य किये जाने हेतु तैनात किया गया है। केस वर्कर के पद का ग्रेड पे रु0 4200/– है तथा इस पद को न तो राजपत्रित घोषित किया गया है और न ही इस ग्रेड पे के अन्य शासकीय सेवक ही राजपत्रित घोषित हैं। तथापि यह संज्ञान में आया है कि केस वर्कर्रों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्य भी संपादित किया जा रहा है और कदाचित इसके लिये उ0प्र0 प्रदेश अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली 2004 के कारण इन्हें राजपत्रित माने जाने की भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न हुई है। यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के आधीन नहीं बनी है जिससे सरकारी सेवक और उसकी प्रास्थिति निर्धारित होती है। चूंकि वित्त विभाग के विभिन्न शासनादेशों के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारी को ही आहरण वितरण का कार्य करने हेतु अधिकृत करने का प्रावधान है और केस वर्कर को उपर्युक्त कारणों से राजपत्रित अधिकारी नहीं माना जा सकता, अतएव यह उचित है कि जिन जनपदों में जिला परिवीक्षा अधिकारी के पद रिक्त हैं और प्रभारी अधिकारी के रूप में केस वर्कर द्वारा आहरण वितरण का कार्य भी किया जा रहा है, वहॉ इनसे आहरण वितरण कार्य न लिया जाये। प्रभारी जिला परिवीक्षा अधिकारियों से आहरण–वितरण के कार्य को छोड़कर समस्त विभागीय कार्य कराया जाये तथा मात्र आहरण–वितरण का कार्य वित्त विभाग के शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को सौंपा जाये।

2– अतः इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित किये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या ए–2–1701/दस–14(4)–1973, दिनांक 28 जुलाई 1973, शासनादेश संख्या बी–1–3361/दस–1998, दिनॉक 04 अगस्त, 1998 एवं शासनादेश संख्या–बी–1–717/दस–2012–एम–53/2011, दिनॉक 09 अप्रैल, 2012 के परिप्रेक्ष्य में जिन जनपदों में जिला परिवीक्षा अधिकारी का पद रिक्त है और केस वर्कर द्वारा प्रभारी जिला परिवीक्षा अधिकारी के रूप में विभागीय कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है, वहॉ मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा अथवा जिला अधिकारी द्वारा नामित किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जिला परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय के आहरण वितरण का कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

27/12/16

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– /60–1–16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रोषितः–

1– निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2– समस्त आयुक्त, उ0प्र0।
3– समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4– समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
संयुक्त सचिव